राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 649/2023

अजय कुमार अग्रवाल —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर रेंज, जयपुर।
4. नवल सिंह राठौड, वरिष्ठ अध्यापक, संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर रेंज, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2023
आदेश की दिनांक : 28.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्षः– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में संशोधन वास्ते संशोधित अपील प्रस्तुत की, उस पर उनको सुना गया। संशोधित अपील स्वीकर कर संशोधित अपील को रिकॉर्ड पर लिया गया।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक गणित के पद पर कार्यालय संयुक्त निदेशक अटेच्ड मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सांगानेर, ग्रामीण जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौतो दी है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2021 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अन्य कार्मिक प्रदीप कुमावत का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकंडी, सोडाला, जयपुर किया गया एवं अपीलार्थी का बिना स्थानान्तरण के ही आदेश दिनांक 17.09.2021 को अपीलार्थी को संयुक्त निदेशक जयपुर कार्यालय के लिए एपीओ कर दिया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 20.09.2021 को कार्यभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात आदेश दिनांक 08.10.2021 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अभयपरा, सांभर लेक, जयपुर पदस्थापित किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.12.2021 द्वारा स्थगन प्रदान किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय, कृष्णापुरी, राकंडी, सोडाला, जयपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया। तत्पश्चात आदेश दिनांक 28.08.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकडी, सोडाला, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजी, दूदू, जयपुर कर दिया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जयपुर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकडी, सोडाला, जयपुर अपीलार्थी के स्थान पर किया गया। निर्वाचन विभाग के आदेश दिनांक 20.10.2022 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी को बी.एल.ओ के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.12.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकडी, सोडाला, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाजी, दूदू, जयपुर स्थानान्तरणाधीन मानते हुए पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में संयुक्त निदेशक कार्यालय, जयपुर में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.01.2023 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण सांगानेर के अधीन किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर रेंज, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर 15 माह की अल्पावधि में 05 बार बारम्बार स्थानान्तरण दुर्भावनापूर्वक किया गया तथा माननीय अधिकरण में विचाराधीन अपील के दौरान ही प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) एवं 14.09.2021 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को निरन्तर राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकंडी, सोडाला, जयपुर में कार्य करने दिया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी को आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर रेंज, जयपुर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, थली, चाकसू, जयपुर किया गया है। आलौच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किये गये हैं। आलौच्य आदेश में कोई विधिक त्रुटि व दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.09.2021 (अनुलग्नक–2) द्वारा अन्य कार्मिक के पदस्थापन आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कृष्णापुरी, राकंडी, सोडाला, जयपुर में कार्य करने का अनुरोध विधिक रूप से नियम विरूद्ध है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि प्रत्यर्थी विभाग अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 28.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य